उत्तर मध्य रेलवे

महाप्रबंधक कार्यालय
राजभाषा विभाग
प्रयागराज

पत्र संख्या : उ.म.रे./रा.भा./13/मौ.पु.ले. दिनांक : 03.02.2025

अपर महाप्रबंधक, प्रधान वित्त सलाहकार, प्रधान मुख्य इंजीनियर, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर, प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, प्रधान मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मुख्य प्रबंधक/सू.प्रौ., उप महाप्रबंधक/सामान्य, सचिव/महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, प्रयागराज

मंडल रेल प्रबंधक- प्रयागराज, झाँसी, आगरा
मुख्य कारखाना प्रबंधक - झाँसी, सिथौली, सीएमएलआर झाँसी, कोच नवीनीकरण कारखाना झाँसी

विषय : हिंदी में कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य-गजल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना - आधार वर्ष 2024.
संदर्भ : रेलवे बोर्ड का पत्र सं. हिंदी-2025/प्रशि.-7/2, दिनांक 28.01.2025.

रेलकर्मी लेखकों की साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय ने हिंदी में कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य-गजल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजनाएं लागू की हैं। आधार वर्ष-2024 की इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत निम्नानुसार पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं :-

क्र.सं.	विधा	पुरस्कार का नाम	पुरस्कारों का विवरण	पुरस्कार की राशि
1.	कथा/कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य	प्रेम चंद पुरस्कार	1. प्रथम पुरस्कार 2. द्वितीय पुरस्कार 3. तृतीय पुरस्कार	रु.20,000/- रु.10,000/- रु.7,000/-
2.	काव्य/गज़ल संग्रह	मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार	1. प्रथम पुरस्कार 2. द्वितीय पुरस्कार 3. तृतीय पुरस्कार	रु.20,000/- रु.10,000/- रु.7,000/-

अनुरोध है कि इस योजना का अपने कार्यालय/मंडल/कारखाने में व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं ताकि अधिकाधिक रेल अधिकारी/कर्मचारी इस योजना की ओर आकर्षित हो सकें। वर्ष 2024 की इस योजना हेतु इस कार्यालय में प्रविष्टियां प्राप्त करने की **अंतिम तिथि 30.04.2025 है।**

योजना की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. इस योजना के अंतर्गत केवल सेवारत रेलकर्मी ही भाग लेने के पात्र होंगे।

2. जिस पुस्तक/कृति को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाए, वह पुस्तक पुरस्कार वर्ष (आधार वर्ष) से पिछले तीन वर्षों में लिखी (टाइप की हुई प्रति) अथवा प्रकाशित हुई होनी चाहिए।

   उदाहरणार्थ – जैसे वर्तमान में आधार वर्ष 2024 के लिए प्रविष्टियाँ माँगी गई हैं तो इस योजना में पुस्तक भेजने के लिए उसका लेखन कार्य अथवा प्रकाशन कार्य 01.01.2022 से 31.12.2024 तक पूरा हुआ होना चाहिए, तभी इसे स्वीकार किया जाएगा।

3. पुस्तक लेखक की पूर्णतः मौलिक कृति होनी चाहिए। किसी अन्य भाषा से ली गई, अनूदित/संपादित अथवा इंटरनेट से डाउनलोड/कॉपी की गई पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. भेजी गई प्रविष्टि को पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के किसी प्रशासन की किसी योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त न हुआ हो।

5. प्रत्येक योजना में एक लेखक/कवि एक समय पर केवल 01 (एक) ही पुस्तक भेज सकता है।

6. इन योजनाओं के अंतर्गत एक लेखक/कवि को उनकी पुस्तक/कृति के लिए पूरे सेवाकाल में अधिकतम दो बार ही पुरस्कृत किया जाएगा।

7. पुस्तक सामान्यतः 100 पृष्ठों से कम नहीं होनी चाहिए।

8. पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

9. लेखक को पुस्तक की 3 मुद्रित अथवा टाइप की हुई प्रतियाँ भेजने के साथ-साथ रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित संलग्न प्रोफार्मा में अपेक्षित जानकारी और घोषणा पत्र भरकर भेजना होगा।

कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ लेखक से निर्धारित प्रोफार्मा (प्रतिलिपि संलग्न) में प्रमाण-पत्र अवश्य भिजवाया जाए।

संलग्न: यथोक्त

03/02/2025

(यथार्थ पाण्डेय)
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी
कृते महाप्रबंधक (राजभाषा)

प्रोफार्मा

प्रेमचंद/मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना

1. (क) लेखक का नाम – (i) हिंदी में :

   (ii) अंग्रेजी में :

   (ख) पदनाम :

   (ग) कार्यालय का नाम और पता :

2. पुस्तक का नाम :
3. पुस्तक का विषय :
4. प्रकाशक का नाम व पता (यदि कोई हो) :
5. पुस्तक लिखने का कार्य पूरा करने की तारीख (माह-वर्ष) :
6. पृष्ठों की संख्या :

घोषणा पत्र

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यह पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और इसे किसी अन्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत या उपर्युक्त योजना के अंतर्गत पहले कभी पुरस्कृत नहीं किया गया है। यह पुस्तक पुरस्कार वर्ष से पिछले तीन वर्ष के दौरान पहली बार लिखी गई अथवा प्रकाशित की गई है और इससे किसी दूसरे के कॉपीराइट अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।

लेखक के हस्ताक्षर :
पूरा नाम :
कार्यालय का पूरा पता :

रेलवे फोन नंबर :
मोबाइल नंबर :
ई-मेल पता :
फैक्स नंबर :

स्थान :
दिनांक :